प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

आज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. याजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति दमामी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. अब्दुल मजीद खान पुत्र सतारखां जाति दमामी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 329 सन 2022 निर्णय दिनांक–23/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान – वर्ष 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक वादी संख्या 1 का नाम याजतखां पुत्र अब्दुल मजीदखां जाति दामामी दर्ज है के स्थान पर याजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति दमामी तथा रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 726/726 की की कुल 8.5870हैक में वादी संख्या 1 का नाम याजत पुत्र अब्दुल मजिद खान जाति मुसलमान दर्ज है के स्थान पर याजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति दमामी एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक वादी संख्या 2 का नाम अब्दल मजीद पुत्र सतार जाति मुसलमान दर्ज है के स्थान पर अब्दुल मजीद खान पुत्र सतार खा एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 539/535 की कुल 2.7820हैक भूमि में वादी संख्या 2 का नाम अब्दुल मजीद पुत्र सतारबक्स जाति दमामी के स्थान पर अब्दुल मजीद खान पुत्र सतार खा संशोधन किया जाता हैइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.....[illegible].....

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 329 सन 2022

उनवान :–

1. साजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति नगारची निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. अब्दुल मजीद खान पुत्र सतारखां जाति नगारची निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23/05/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक्ट में वादीगण प्रत्येक 502/3547 हिस्सा व खाता संख्या 530/535 की कुल 2.7820हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम , रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 726/726 की कुल 8.5870हैक्ट में वादी संख्या 1 का 41/277 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम साजत खा पुत्र अब्दुल मजीद खां , सायत पुत्र अब्दुल मजिद खान ,अब्दुल मजीद पुत्र सतार एवं अब्दुल मजीद पुत्र समारबक्स दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र रामदास दर्ज किया गया है जो गलत है। वादीगण केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर तीनो खातों में क्रमशः साजत खा पुत्र अब्दुल मजीद खां , सायत पुत्र अब्दुल मजित खान ,अब्दुल मजीद पुत्र सतार एवं अब्दुल मजीद पुत्र समारबक्स के स्थान पर साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया गया।

तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष– 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक्ट में वादीगण प्रत्येक 502/3547 हिस्सा व खाता संख्या 530/535 की कुल 2.7820हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम , रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 726/726 की कुल 8.5870हैक्ट में वादी संख्या 1 का 41/277 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम साजत खा पुत्र अब्दुल मजीद खां , सायत पुत्र अब्दुल मजिद खान ,अब्दुल मजीद पुत्र सतार एवं अब्दुल मजीद पुत्र समारबक्स दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम साजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

नाम याजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र रामदास दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक्ट में वादीगण प्रत्येक 502/3547 हिस्सा व खाता संख्या 539/535 की कुल 2.7820हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम , रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 726/726 की कुल 8.5870हैक्ट में वादी संख्या 1 का 41/277 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।जिसमें वादी का नाम याजत खा पुत्र अब्दुल मजीद खां , यायत पुत्र अब्दुल मजिद खान ,अब्दुल मजीद पुत्र सतार एवं अब्दुल मजीद पुत्र समारबक्स दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय याजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां के स्थान पर याजत खा पुत्र अब्दुल मजीद खां , यायत पुत्र अब्दुल मजिद खान ,अब्दुल मजीद पुत्र सतार एवं अब्दुल मजीद पुत्र समारबक्स दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम याजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का नाम याजत पुत्र अब्दुल मजीन खान पुत्र सतारखां होना प्रतित होता है प्रस्तुत दस्तावेजात /शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक्ट वादी संख्या 1 का नाम याजतखां पुत्र अब्दुल मजीदखां जाति दामामी दर्ज है के स्थान पर याजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति दमामी तथा रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 726/726 की की कुल 8.5870हैक्ट में वादी संख्या 1 का नाम याजत पुत्र अब्दुल मजिद खान जाति मुसलमान दर्ज है के स्थान पर याजत पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति दमामी एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 7.0940हैक्ट वादी संख्या 2 का नाम अब्दल मजीद पुत्र सतार जाति मुसलमान दर्ज है के स्थान पर अब्दुल मजीद खान पुत्र सतार खा एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 539/535 की कुल 2.7820हैक्ट भूमि में वादी संख्या 2 का नाम अब्दुल मजीद पुत्र सतारबक्स जाति दमामी के स्थान पर अब्दुल मजीद खान पुत्र सतार खा संशोधन किया जाता हैइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट......

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner